सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 310 राँची, रविवार, 17 जुलाई, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई, 2022

विषय: नोबेल कोरोना वायरस (**Covid-19**) से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतर्राज्यीय तथा समस्त मंजिली (**Stage Carriage**) वाहनों, स्कूल बसों (समस्त माल वाहनों एवं लॉकडाउन अवधि में व्यवहृत/परिचालित वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्गकर से माफी तथा राज्य सृजनोपरांत निबंधित सरकारी वाहनों एवं व्यवसायिक वाहनों के अद्यतन अर्थदण्ड (**Penalty**) एकल सम्व्यवहार (**One time settlement**) के अन्तर्गत माफ किये जाने की स्वीकृति।

अधिसूचना संख्या-परि.आ.-(कर माफी)-120/2020-894 --विश्वव्यापी नोबेल कोरोना वायरस (**Covid-19**) से जनित विषम परिस्थिति के फलस्वरूप राज्य में लागू सुरक्षा सप्ताह/लॉकडाउन को विस्तारित किये जाने के आलोक में परिवहन विभागीय पत्रांक-484, दिनांक-26.05.2021 द्वारा अंतर्राज्यीय (Inter-state) तथा राज्य के अन्दर (Intra-state) चलने वाले बसों का परिचालन दिनांक-03.06.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था। कालान्तर में इसे विस्तारित किया गया एवं परिवहन विभाग, झारखण्ड के प्रेस विज्ञप्ति सं0-689, दिनांक-01.07.2021 के द्वारा राज्य के अन्दर परिचालित बसों (Intra-State) को सशर्त परिचालन करने की अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0-429/CS/Res, दिनांक -31.07.2021 के आलोक में परिवहन विभागीय पत्रांक-809, दिनांक -31.07.2021 के द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों के बसों के परिचालन की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-146 एवं 147, दिनांक-02.02.2022 के द्वारा दिनांक-04.02.2022 के प्रभाव से कक्षाओं का संचालन करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

2. राज्य में लागू जनहितार्थ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में वाहनों के परिचालन नहीं होने से दुष्कर आर्थिक स्थिति दृष्टिगोचर हुई है। राज्य के वाहन स्वामी संगठनों/ट्रांसपोटरों द्वारा संबद्ध वाहनों का मार्गकर ससमय जमा नहीं किये जाने की स्थिति में कतिपय वाहनों के परिचालन विराम् की स्थिति एवं दण्डशुल्क में हो रहे उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत टैक्स जमा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए दण्डशुल्क माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विदित हो कि परिवहन विभागीय गजट सं॰-380, दिनांक-29.07.2021 के द्वारा कोविड-19 के फलस्वरूप राज्य में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप वाहनों के परिचालन नहीं किये जाने की स्थिति में वैसे वाहन जिनका पथकर दिनांक-24.03.2020 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि दिनांक-24.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो रही थी, उक्त तिथि से झारखण्ड में लागू लॉकडाउन के अवधि में अव्यवहृत अंतर्राज्यीय तथा समस्त परमिटधारी बसों, स्कूल बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्गकर से छूट प्रदान की गई थी। उक्त छूट का लाभ अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 07 दिनों तक की अवधि में अनुमान्य था।

3. उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त नोबेल कोरोना वायरस (Covid-19) से जनित विषम परिस्थिति के फलस्वरूप Covid-19 एवं Covid-2.0 तथा तदजनित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में अव्यवहृत अंतर्राज्यीय तथा समस्त मंजिली (Stage Carriage) वाहनों, स्कूल बसों (समस्त माल वाहनों एवं लॉकडाउन अवधि में व्यवहृत/परिचालित वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्गकर से माफी के लिए झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 (1)-सह-पठित धारा-23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपभोगित करते हुए निम्नांकित निर्णय संसूचित किया है:-

(i) झारखण्ड राज्य में वैध निबंधित परमिटधारी एवं पारस्परिक समझौते वाले राज्यों से निर्गत तथा वैध परमिटधारी बसों (Inter-state) जिनका मार्ग कर दिनांक -26.05.2021 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिनांक-26.05.2021 को या इसके बाद समाप्त हो रहा था, का सुरक्षा सप्ताह/ लॉकडाउन की तिथि यथा दिनांक-26.05.2021 से दिनांक-31.07.2021 तक की अवधि में राज्य

के अन्दर परिचालित होने वाले अंतर्राज्यीय मंजिली एस.टी.ए. परमिटधारी/ प्रतिहस्ताक्षरित अपरिचालित/अव्यवहृत बसों के झारखण्ड मार्गकर की राशि से माफी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) वैसे मंजिली बसों (Stage Carriage) जिनका पथकर दिनांक -26.05.2021 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिनांक-26.05.2021 को या उसके बाद समाप्त हो रहा था, का उक्त अनुमान्य तिथि यथा दिनांक-26.05.2021 से दिनांक-01.07.2021 तक अपरिचालित/अव्यवहृत राज्य के अन्दर परिचालित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से निर्गत परमिटधारी मंजिली बसों (Stage Carriage) के भुगतेय झारखण्ड मार्ग कर की राशि से माफी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(iii) दिनांक-01.04.2021 से 03.02.2022 तक अव्यवहृत/अपरिचालित अधिनियम के तहत परिभाषित एवं परमिटधारी स्कूली बसों/वाहनों का झारखण्ड मार्ग कर राशि की माफी निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(a) संबंधित स्कूल/शिक्षण संस्थान के प्रमुख/प्रधान क्षेत्राधिकार के जिला परिवहन पदाधिकारी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र/स्वीकारोक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वांछित वाहन उपरोक्त समयावधि में अपरिचालित/अव्यवहृत रहा है;

(b) संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी इस आशय से सम्पुष्ट/आश्वस्त होना सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कर माफी सम्बद्ध स्कूली वाहनों का यथाउल्लेखित समयावधि में परिचालन/व्यवहृत नहीं किया गया है;

(iv) वैसे अव्यवहृत अंतर्राज्यीय तथा समस्त मंजिली (Stage Carriage) वाहनों, अधिनियम के तहत परिभाषित एवं परमिटधारी स्कूल बसों (समस्त माल वाहनों एवं लॉकडाउन अवधि में व्यवहृत/परिचालित वाहनों को छोड़कर) जिनका दिनांक-24.03.2020 से लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप अनुमान्य मार्ग कर छूट अनुमान्यता का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, उक्त वाहनों को भी एकल सम्व्यवहार के तहत अपरिचालित/अव्यवहृत अवधि की कर माफी प्रदान की जायेगी। स्कूली बसों वाहनों के कर माफी उप कण्डिका-(iii) (a) एवं (b) के शर्तों के अधीन अनुमान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(v) राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों का मात्र दण्ड शुल्क (Penalty) की माफी की स्वीकृति दी जाती है।

उक्त स्वीकृति के निमित्त सम्बद्ध विभाग के प्रमुख/अध्यक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करेंगे कि कर माफी योग्य वाहनों का उपयोग मात्र सरकारी कार्यों में किया गया है।

4. साथ ही राज्य सरकार ने झारखण्ड मोटरवाहन करारोपन नियमावली, 2001 के नियम-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सृजनोपरांत राज्यान्तर्गत निबंधित मात्र वैध परमिटधारी व्यवसायिक वाहनों (otherwise eligible) तथा झारखण्ड राज्य परिवहन प्राधिकार की विगत बैठक दिनांक-17.10.2019 के पश्चात् झारखण्ड राज्य में निबंधित बसों जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है, के बकाया मार्ग कर से जनित अद्यतन दण्डशुल्क (Penalty) की माफी प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।

उक्त दण्ड शुल्क माफीनामा वाहन स्वामियों को एकल संव्यवहार (One Time Transaction) के अंतर्गत मात्र अनुमान्य होगा।

व्यवसायिक वाहन स्वामियों को बकाया पथकर की मूलधन राशि राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

5. यह कर माफी योजना संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले 30 (तीस) दिनों तक के लिए लागू होगा तथा इस संदर्भ में परिवहन आयुक्त का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सचिव,
परिवहन विभाग।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 310 - 50